न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
204/2019	26-06-2019	06/05/2022

उनवान

01. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोडद्व आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

-----:: वादी

बनाम

01. आजाद
02. इकबाल
03. सहजाद पुत्रान रोशन
04. फिरोजी पत्नी रोशन जाति मेवान निवासीगण ग्राम मुसारी तहसील तिजारा जिला अलवर
05. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 47 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। शर्मा को विवादित आराजी के संबंध में पूर्ण जानकारी है व वादी कम्पनी की ओर से समस्त विधिक ाही करने के लिए अधिकृत है। विवादित आराजी वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त काश्त शामलात खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में वादी कम्पनी का 3/4 भाग व प्रतिवादी 1 लगायत 4 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो रहा है। जिस दी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 मुताबिक अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है। ई में शामलात राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अपने अपने हिस्से के प मौके पर उक्त आराजी पर काबिज एवं दाखिल है। किन्तु आज तक लिखित रूप में पक्षकारान के मध्य बंटवारा नहीं हुआ है और राजस्व रिकार्ड में शामलात में ही काबिज व दाखिल चले आ रहे है। हर इंच पर स्सेदार का हिस्सा है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस आज कोई तकासमा नहीं हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का र प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अनुपस्थित इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई

प्रतिवादी संख्या 5 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया। द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील ने वाद को क डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 09-12-2021 को प्रारम्भिक डिकी जारी कर तहसीलदार टपूकडा को मौका कमिश्नर किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुर्रे तलब की गई। चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र कमांक: भू.अ./2022/5046 दिनांक 04-04-2022 के द्वारा प्रकरण रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट फाईनल डिकी किये जाने हेतु निवेदन कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिकी किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिकी किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 47 रकबा 0.16 ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के दिये जाते है।

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार अ.वि.व. जरिये डायरेक्टर विपुल गोयल पुत्र रोहताश गोयल महाजन सा. 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली पूर्ण हि0	47	0.12	बारानी 2	0.48
आजाद सहजाद इकबाल पि0 रोशन फिरोजी पत्नी रोशन जाति नेव सा. मुसारी खातेदार हि0 पूर्ण	47/1	0.04	बारानी 2	0.16

कसीन शुद्दा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें। जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख [illegible]
204/2019	26-06-2019	06/05/2020

उनवान

01. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोडद्व आश्रम नई दिल्ली जरिये अधि[illegible] [illegible]क्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

---:: वादी

बनाम

01. आजाद
02. इकबाल
03. सहजाद पुत्रान रोशन
04. फिरोजी पत्नी रोशन जाति मेवान निवासीगण ग्राम मुसारी तहसील तिजारा जिला अलवर
05. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: [illegible]वादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: पर्चा डिकी ::-

हाल आराजी खसरा नम्बर 47 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजा[illegible] अलवर [illegible]जस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकवा	[illegible]	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार अ.वि.व. जरिये डायरेक्टर विपुल गोयल पुत्र रोहताश गोयल महाजन सा. 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली पूर्ण हि0	47	0.12	[illegible]	0.48
02.	आजाद सहजाद इकबाल पि0 रोशन फिरोजी पत्नी रोशन जाति मेव सा. मुसारी खातेदार हि0 पूर्ण	47/1	0.04	[illegible]	0.16

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अम[illegible] कि[illegible] जावें।

(म[illegible] सिंह)
उपखण्[illegible] अ[illegible]री,
तिजा[illegible] (अ[illegible])